न्यायालय, जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या– 01/2017–18

राज्य बनाम शंभू कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
16.05.2017	**आदेश** बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–58 अंतर्गत प्रश्नगत अधिहरण वाद पसराहा थाना कांड संख्या–21/2017, दिनांक–19.02.2017 से संबंधित थानाध्यक्ष पसराहा के पत्र तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1047, दिनांक–27.03.2017 के अधिहरण प्रस्ताव पर आधारित है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के संदर्भित पत्र के साथ प्राथमिकी एवं तालाश–सह–जप्ती सूची की छायाप्रति संलग्न है। थानाध्यक्ष के प्रश्नगत प्रस्ताव में संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध जप्त मालवाहक पिकअप संख्या–BR34G-8169 के अधिहरण का अनुरोध है। थानाध्यक्ष के अनुरोध पत्र के साथ संलग्न तालाशी–सह–जप्ती सूची में उक्त पिकअप में 76 कार्टून में रखा Royal Stag Company का विदेशी शराब पाया गया था। कुल 76 कार्टून में 52 कार्टून में 9 पीस कुल 468 पीस 1000ml का बोतल जिसपर For Sale in West Bangal Only लिखा हुआ था, जिसमें 10 बोतल फूटा हुआ था तथा अन्य 24 कार्टून में 1152 पीस 180ml का बोतल था जिसपर For Sale in Jharkhand Only लिखा हुआ था। इस प्रकार कुल 1610 बोतल विदेशी शराब उक्त वाहन से जप्त किया गया। सारांशतः प्राथमिकी में दर्ज विवरण से स्पष्ट है कि पसराहा थाना को उजले रंग के बोलेरो पिकअप मालवाहक BR34G-8169 से विदेशी शराब के परिचालन की सूचना मिली थी। इसी सूचना पर कार्रवाई हुई थी, फलस्वरूप उक्त वाहन से विदेशी शराब की जप्ती की कार्रवाई की गई। प्राथमिकी में स्पष्ट वर्णित है कि गाड़ी में बैठे व्यक्ति से नाम व पता पूछे जाने पर अपना नाम शंभू कुमार, पिता–नागेश्वर मंडल, ग्राम–गढ़मोहनी, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया बताया गया। प्राथमिकी में स्पष्ट उल्लेख है कि शंभू कुमार द्वारा अपने–आपको गाड़ी का मालिक–सह–चालक स्वीकार किया गया। प्रश्नगत वाद में संबंधित को नोटिस के माध्यम से सूचना दी गई। नोटिस की प्राप्ति के अवलोकन से स्पष्ट है कि	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारीख–सहित
	प्रेमा कुमारी द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया। शंभू कुमार के अधिवक्ता द्वारा 25.04.2017 को हस्ताक्षरित आपत्ति आवेदन से व्यक्त है कि वाहनस्वामि की पत्नी की हैसियत से प्रेमा कुमारी द्वारा नोटिस की प्राप्ति की गई है। सुनवाई के दौरान विपक्षी शंभू कुमार के अधिवक्ता द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदन में अंकित तथ्यों को प्रस्तुत किया गया तथा यह कहा गया कि जप्त वाहन उनके चालक द्वारा चलाया जा रहा था तथा वाहनस्वामि को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। आपत्ति आवेदन में यह अनुरोध भी अंकित है कि वाहन के अधिहरण के बदले केवल निषिद्ध सामग्री का अधिहरण किया जाना उचित होगा। आपत्ति आवेदन में यह भी उल्लेख है कि वाहन चूकि एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसलिए इसके अधिहरण से राष्ट्र की संपत्ति की क्षति होती है। बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उस कांड में विधिवत की गई जप्ति एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि जप्त वाहन अधिनियम की धारा 58(2) के अंतर्गत अधिहरण करने योग्य है। विशेष लोक अभियोजक द्वारा कांड से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्ती सूची के अनुसार जप्त सामग्री के विवरण का समर्थन किया। इस प्रकार प्राथमिकी के साथ जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन इस अधिनियम के अंतर्गत अधिहरण योग्य है। विपक्षी को सुनवाई में भाग लेने का पर्याप्त अवसर दिया गया। उनके अधिवक्ता सुनवाई में उपस्थित भी हुए। विपक्षी के तरफ से दाखिल आपत्ति आवेदन में अंकित तथ्यों का उनके अधिवक्ता द्वारा समर्थन करते हुए वाहन मुक्ति का अनुरोध किया गया है। तथ्यों के आलोक में विपक्षी का अनुरोध स्वीकार योग्य नहीं है। उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि वर्णित वाहन BR34G-8169 बोलेरो पिकअप बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है :– 1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34G-8169 बोलेरो पिकअप जो जप्त कर पसराहा थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और	

आदेश का क्रम सं0 और तारीख	आदेश एव पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1.	02.	3.

उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से इसकी बिक्री किया जाय।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में जप्त वाहन BR34G-8169 बोलेरो पिकअप को मोटरयान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।

3. सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता
खगड़िया।

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता
खगड़िया।